तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 106/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/237) बअनवान श्रीमती जोगी देवी व अन्य बनाम इन्द्रजीत इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

श्रीमती जोगीदेवी व अन्य

बनाम

इन्द्रजीत इत्यादि

उपस्थित

1. श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री पी. आर. प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या बारह

आदेश

दिनांक 22 मई 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 274/2008 बअनवान श्रीमती जोगीदेवी व अन्य बनाम इन्द्रजीत इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 05 जुलाई 2021 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 94 रकबा 24.16 बीघा, खसरा नंबर 94/1 रकबा 06 बिस्वा ग्राम नांदड़ा कला अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी की सामलाती भूमि है, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 0.10.2008 के जरिये वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान से मुंतकिल नही किये जाने तथा वादग्रस्त आराजी का अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग नहीं किये जाने की अस्थाई निषेधज्ञा जारी की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी पृथ्वीराज द्वारा अप्रार्थी

संख्या 13 को बेची गई भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा को वापिस ले लिया। प्रत्यर्थी संख्या नौ से ग्यारह जो वादग्रस्त आराजीयात में मात्र अजनबी खरीददार है, वे अपीलाधीन आदेश की आड़ में विवादित भूमि पर से अपीलार्थीगण को जबरन बेदखल करने, निर्माण कार्य करने, आगे से आगे भूखण्डों में भूमि का बेचान करने एवं कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन करने की अपीलार्थीगण को धमकियां दे रहे है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। यदि वे अपने उद्धेश्य में सफल हो गये तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाधीन ओश दिनांक 02 जुलाई 2021 को निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेंट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या नौ के अधिवक्ता अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या नौ वादग्रस्त आराजी में पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये खरीददार एवं सद्भाविक क्रेता है। कानूनन सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक विवादग्रस्त भूमि ग्राम नांदड़ा कला

	नवसृजित ग्राम सिरियादे नगर के खसरा नं. 94 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नं. 94/1 रकबा 06 बिस्वा गैर मुमकिन कुआ कुल रकबा 25 बीघा 02 बीघा सामलाती रूप से कानाराम व पृथ्वीराज पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज थी। स्व. कानाराम द्वारा उक्त आराजी में अपने हक के संपूर्ण रकबे का बेचान अपीलार्थीगण के पिता व अन्य को कर दिया गया, जिसका नामांतरण होने से पूर्व ही स्व. कानाराम फौत हो जाने पर बेचान नामांतरकरण के स्थान पर विरासन नामांतरकरण भरा जाना प्रतीत होता है। वादीगण/अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट्स को सुनकर प्रथमदृष्टया मामला उनके पक्ष में मानकर दिनांक 08.10.2008 को स्थगन आदेश प्रदान किया गया जो अपीलाधीन आदेश के जरिये दिनांक 02.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 13 के हक-हिस्से तक स्थगन आदेश को वापस लिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 09 के हिस्से में वर्तमान में दर्ज भूमि से स्थगन आदेश वापस लेने से रेस्पोडेंट संख्या नौ द्वारा वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द किया जाता है अथवा वादग्रस्त आराजी का अग्रिम बेचान किया जाता है तो मामले में अनावश्यक जटिलताएं बढ सकती है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। लिहाजा विवादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। मामला विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार त्वरित निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 106/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/237) बअनवान श्रीमती जोगी देवी व अन्य बनाम इन्द्रजीत इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 जुलाई 2021 को अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	